भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1250
दिनांक 30.07.2024 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को वित्तीय सहायता

1250. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:
डॉ. विनोद कुमार बिंद:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के लिए वित्तीय स्वायत्तता और संसाधन आवंटन को सशक्त बनाने के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता सहित वर्तमान वित्तपोषण तंत्र का व्यापक अवलोकन क्या है;

(ख) सरकार द्वारा ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन में प्रभावी रूप से योगदान देने को सुनिश्चित करने के लिए कितनी धनराशि संवितरित, निगरानी और उपयोग में लाई जा रही है;

(ग) क्या सरकार ने पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने और बाह्य वित्तपोषण पर कम निर्भर रहने में सक्षम बनाते हुए उनकी राजस्व सृजन क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) सरकार पंचायतों के लिए सतत आय स्रातों के सृजन को किस सीमा तक सुगम बना रही है और उन सर्वोत्तम पद्धतियों का ब्यौरा क्या है, जो सरकार द्वारा संस्थाओं के वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही में सुधार लाने के लिए चिह्नित तथा संवर्धित की गई हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री
(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) संविधान का अनुच्छेद 280 केंद्रीय वित्त आयोगों को संघ, राज्यों और उनके संबंधित स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने और राज्यों और स्थानीय निकायों के लिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए करों के साथ-साथ अनुदानों के बंटवारे की अनुशंसा करने का आधार प्रदान करता है। केन्द्रीय वित्त आयोग को भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (खख) के तहत "पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों" की अनुशंसा करने का अधिकार है।

15वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अपनाई गई वर्तमान वित्तपोषण प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) राज्यों के बीच पारस्परिक वितरण जनसंख्या पर 90 प्रतिशत के भारांक और राज्यों के क्षेत्रफल पर 10 प्रतिशत के भारांक के साथ है। पंचायतों में सभी तीन स्तरों को अनुदान प्राप्त होगा। नवीनतम राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले सभी स्तरों के बीच पारस्परिक वितरण निम्नलिखित बैंड के अनुरूप है:-

वितरण की सीमा	ग्राम पंचायतें	ब्लॉक पंचायतें	जिला पंचायतें
न्यूनतम	70%	10%	5%
अधिकतम	85%	25%	15%

जिन राज्यों में केवल गांव और जिला पंचायतों वाली दो स्तरीय प्रणाली है वहाँ आवंटन निम्नलिखित श्रेणी में होगा;

वितरण की सीमा	ग्राम पंचायतें	जिला पंचायतें
न्यूनतम	70%	15%
अधिकतम	85%	30%

राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की सिफारिश उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, स्तरों के भीतर पारस्परिक वितरण को ऊपर बताए गए बैंड के भीतर राज्य सरकार द्वारा तय किया जाना चाहिए।

(ii) प्रत्येक स्तर के लिए राज्य स्तरीय अनुदान अलग से निर्धारित करने के उपरांत, पूरे राज्य में संबद्ध इकाइयों के बीच अंतरा-स्तर वितरण जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर 90:10 के अनुपात में या नवीनतम राज्य वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिश के अनुसार किया जाएगा।

(iii) संविधान के भाग IXऔर भाग IX-क के दायरे से बाहर रखे गए राज्य में शामिल क्षेत्रों के लिए अनुदान के आंवटन के संबंध में, संबंधित राज्य 90:10 के अनुपात में जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर आवंटन करेगा।

(iv) राज्य सरकारें पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा केंद्र सरकार से अनुशंसित अनुदान प्राप्त कर लेंगी और उन्हें दस कार्य दिवसों के भीतर ग्रामीण स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर देंगी। दस कार्य दिवसों से अधिक की देरी होने पर राज्य सरकारों को पिछले वर्ष के लिए बाजार उधारी/राज्य विकास ऋण पर ब्याज की औसत प्रभावी दर के अनुसार देरी की अवधि के लिए ब्याज सहित अनुदान जारी करना होगा।

वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.07.2021 को जारी परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, पंचायती राज मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता विभाग को क्रमशः पंद्रहवें वित्त आयोग के अबद्ध (अनटाइड) अनुदान और बद्ध (टाइड) अनुदान जारी करने के लिए सिफारिशें करने की भूमिका दी गई है।

15वें वित्त आयोग के अंतर्गत अबद्ध (टाइड) अनुदान की किस्तें जारी करने के लिए दिशानिर्देशों में

निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं:

i. ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए पात्र माना जाएगा, यदि वे विधिवत रूप से गठित हैं, अर्थात यदि विधिवत निर्वाचित निकाय मौजूद हैं, सिवाय उन राज्यों/क्षेत्रों के जहां संविधान का भाग IX लागू नहीं होता है। यदि सभी निकाय विधिवत रूप से गठित नहीं हैं, तो अनुदान केवल विधिवत रूप से गठित निकायों के लिए वास्तविक आवंटन/अनुपात के आधार पर राज्य को जारी किया जाएगा।

ii. ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर ग्रामीण स्थानीय निकायों के जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी अपलोड करना ।

iii. ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदानों के लेन-देन के लिए अनिवार्य रूप से ई-ग्राम स्वराज - पीएफएमएस पर शामिल (ऑनबोर्ड) होना होगा।

iv. अनुदान प्राप्त करने के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनिवार्य रूप से पिछले वर्ष के अनंतिम खाते और पिछले वर्ष से पहले के वर्ष के लेखापरीक्षित खाते तैयार करके ऑनलाइन उपलब्ध कराने होंगे।

v. राज्य के पास 14 वें वित्त आयोग के अनुदान का अप्रयुक्त शेष विचाराधीन किस्त के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।

vi. पिछले वर्ष के दौरान जारी किए गए अबद्ध (अनटाइड) अनुदानों में से कम से कम 50% का उपयोग किया जा चुका है (केवल वित्तीय वर्ष की दूसरी किस्त जारी करने के लिए वैध)।

vii. जिन राज्यों ने ऐसा नहीं किया है, उन्हें राज्य वित्त आयोग का गठन करना होगा, उनकी सिफारिशों पर कार्य करना होगा और मार्च 2024 तक या उससे पहले राज्य विधानमंडल के समक्ष की गई कार्रवाई के संबंध में स्पष्टीकरण ज्ञापन प्रस्तुत करना होगा। मार्च 2024 के बाद, ऐसे राज्यों को कोई अनुदान जारी नहीं किया जाएगा, जिन्होंने एसएफसी और इन शर्तों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा राशि वितरण, निगरानी और राशि के उपयोग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने ई-ग्राम स्वराज और ऑडिटऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए हैं। ई-ग्राम स्वराज ग्रामीण स्थानीय निकायों को राशि हस्तांतरण, पंचायतों की योजना और लेखा आवश्यकताओं, विकेंद्रीकृत नियोजन, प्रगति रिपोर्टिंग, वित्तीय प्रबंधन और परिसंपत्ति ट्रैकिंग को बढ़ावा देने के मुद्दों को संबोधित करता है। ऑडिटऑनलाइन पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट की सुविधा देता है, जिससे ऑडिट किए गए खातों का रख रखाव और सार्वजनिक उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

(ग) और (घ) जी हां, महोदय।

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों का हस्तांतरण अनिवार्य करता है। पंचायती राज मंत्रालय राज्यों से इन प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करने की सक्रिय रूप से वकालत कर रहा है, राज्यों द्वारा पंचायतों को पर्याप्त कार्य, वित्त और कार्यकर्ताओं के साथ सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल देता है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देता है, जो जमीनी स्तर पर प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है।

पंचायती राज मंत्रालय कार्यशालाओं, वीडियो कॉन्फ्रेंस और अध्ययनों के माध्यम से पंचायतों के ओएसआर में सुधार के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करने और वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे ओएसआर पर चर्चा करने और उच्च प्रदर्शन करने वाली पंचायतों द्वारा प्रस्तुतियाँ आयोजित करने के लिए ग्राम सभा की बैठकों के लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार करें। सतत विकास लक्ष्योंको प्राप्त करने के लिए नौ विषयों की पहचान करते हुए, मंत्रालय पंचायतों की अधिक स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता के लिए ओएसआर उत्पन्न करने पर जोर देता है, जो थीम 6 'आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा गांव' के अंतर्गत आता है।

कई पंचायतों ने स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर) उत्पन्न करने में उत्कृष्टता हासिल की है। दक्षिण अंडमान में मीठाखारी ग्राम पंचायत ने सामुदायिक हॉल किराए और बाजार नीलामी जैसे स्रोतों से वित्त वर्ष 2021-22 में 15,74,575 रुपये कमाए। बोरझार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास असम के कामरूप में अज़रा ग्राम पंचायत ने ओएसआर में वृद्धि का रुझान दिखाया, जो 2021-22 में 43.17 लाख रुपये तक पहुंच गया, जिसमें गोदाम कर और दुकानों से प्रमुख राजस्व प्राप्त हुआ। ये पंचायतें प्रभावी ओएसआर रणनीतियों और सतत विकास को उजागर करती हैं।

*****